न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 117/15 निर्णय दिनांकः 30–12–2019
(आरसीएमएस संख्या 2015/00196)

1. रामेश्वर पुत्र धमण्डीराम जाति सुनार निवासी बीकानेर हाल आबाद चक नम्बर 7 केडब्ल्यूएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 17–01–1987
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

2. अपील संख्या 40/19
(आरसीएमएस संख्या 2019/00054)

1. रामेश्वर पुत्र धमण्डीराम जाति सुनार निवासी बीकानेर हाल आबाद चक नम्बर 7 केडब्ल्यूएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. जगराज सिंह पुत्र रूघ सिंह जाति राजपूत निवासी बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक शून्य
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 17–01–1987 व दिनांक शून्य जिसके द्वारा आवांटन नियमों के विपरीत जाकर, बिना वरियता, बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के एकतरफा तौर पर अपीलांटस के आवंटन को खारिज करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि 7 केडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 214/20 क किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 14, 16 ता 24 में 19 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन अपीलांट् को बतौर भूमिहीन किया गया था। आवंटन पश्चात् निर्धारित राशि जमा करवाते हुए अदालत मातहत द्वारा आवंटन पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी करते हुए मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। अपीलांट् द्वारा राशि जमा करवाने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार सेल रजिस्टर में अपीलांट का खाता खोला गया तथा निरन्तर जमा राशि का हवाला उक्त रजिस्टर में अंकित किया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना व नोटिस दिये बिना आदेश दिनांक 17–01–1987 पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश में यह अंकित किया गया कि अपीलांट की 12825/–किश्त राशि बकाया है, जो आज दिनांक तकम जमा नहीं करवाये है तथा रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबा अन्य को आवंटित हो चुका है। अतः अपीलांट का आवंटन निरस्त किया जाता है। इस प्रकार यह तथ्य भलीभांति स्वमेव साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज करने से पूर्व ही उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया जा चुका था। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। जबकि उक्त दिनांक को वादग्रस्त भूमि अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी। जो किसी भी स्थिति में आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं थी।

अदालत मातहत द्वारा बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से अपीलांट को आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही कोई सूचना, नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन की जानकारी अपीलांट को प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन की पत्रावली की मांग की गई तथा इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत भी उपरोक्त आवंटन की नकल चाही गई, परन्तु आज दिनांक तक अपीलांट को रेस्पोडेन्ट के आवंटन के संबंध में किसी प्रकार की कोई नकल प्राप्त नहीं हुई है। जिससे प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन मात्र कागजी आवंटन है। केवल मात्र सेल रजिस्टर में नोट अंकित कर देने मात्र से अपीलांट के वादग्रस्त भूमि पर अधिकार समाप्त नहीं होते है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर आवंटन दिनांक अर्थात वर्ष 1976 से काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये अखबार साया नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफ कार्यवाही की गई।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पूर्ण प्रकिया को अपनाते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1

को किया गया है। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 द्वारा निर्धारित राशि खजानाराज में जमा करवाई जाकर वादग्रस्त भूमि के तमाम अधिकारी प्राप्त किये जा चुके है। सेल रजिस्टर में रेस्पोडेन्ट का खाता खोला जा चुका है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किया जा चुका है। अपीलांट अन्य भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर चक 7 केडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 214/20 रकबा 19 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि 7 केडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 214/20 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 14, 16 ता 24 में 19 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 12–02–1976 को अपीलांट् को बतौर भूमिहीन किया गया था। आवंटन पश्चात् निर्धारित राशि जमा करवाते हुए अदालत मातहत द्वारा आवंटन पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी करते हुए मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है।

(3) अपीलांट् द्वारा समय–समय पर वादग्रस्त भूमि की राशि जमा करवाने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार सेल रजिस्टर में अपीलांट का खाता खोला गया तथा निरन्तर जमा राशि का हवाला उक्त रजिस्टर में अंकित किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना व नोटिस दिये बिना आदेश दिनांक 17–01–1987 पोरित करते हुए अभिलिखित किया गया कि अपीलांट की 12825/–किश्त राशि बकाया है, जो आज दिनांक तकम जमा नहीं करवाये है तथा रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबा अन्य को आवंटित हो चुका है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज करने से पूर्व ही अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत को चाहिए था कि यदि वे अपीलांट के आवंटन को खारिज करना भी चाहते थे तो उन्हें नियमानुसार बकाया राशि जमा करवाने हेतु अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित होता हो कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटन को खारिज करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा किसी प्रकार की कोई सूचना व बकाया राशि जमा करवाने हेतु एक अवसर प्रदान किया गया हो।

(4) प्रकरण में पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जिससे रेस्पोडेन्ट के आवंटन की वैधता के संबंध में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की जा सके। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन मात्र कागजी आवंटन है। मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त बरकरार है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज करने से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किये जाने का उल्लेख स्वमेव आदेश जैर अपील में किया जाना साबित होता है। जबकि प्रकरण में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे अपीलांट के विधि सम्मत तरीके से किये आवंटन को खारिज करने से पूर्व मौके की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए व अपीलांट को बकाया राशि जमा करवाने का एक अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही विधि सम्मत तरीके से आदेश पारित करते। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए वर्ष 1976 में आवंटित भूमि को अन्य व्यक्ति अर्थात रेस्पोडेन्ट को पश्चात्वर्ती आवंटन करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलें स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 17–01–1987 व आदेश दिनांक शून्य जिससे वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, निरस्त किये जाकर अपीलांट का आवंटन बकाया राशि जमा करवाने की स्थिति में बहाल किया जाता है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30–12–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.06 15:50:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: